संख्या-42/2024/आई/764566/001-23-14002(099)/6/2024

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 08.10.2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत सहारनपुर मण्डल के 26 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-10345/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2024-25, दिनांक 17.09.2024, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 26 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 332.59 लाख (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागते	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
1	**प्रा.ख. शामली**	गोहरपुर क्रय केन्द्र से खेडी बैरागी मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	39.38	0.08	39.30	3.54	35.76	16.13	11.81
2	**प्रा.ख. शामली**	तलवा माजरा बस स्टैण्ड से खेडी बैरागी तालाब तक मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	25.58	0.05	25.53	2.30	23.23	0.30	7.67
3	**प्रा.ख. शामली**	थानाभवन चरथावल मार्ग से (धर्मपाल के खेत) रपटे की ओर मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	79.56	0.12	79.44	7.15	72.29	0.91	23.87
4	**नि.ख. सहारनपुर**	छिछरोली से आभा पुल तक मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य।	30.43	1.15	29.28	2.74	26.54	12.46	9.13
5	**नि.ख. सहारनपुर**	पाहुपुर से बचीटी-गझेंडी मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य।	22.60	0.04	22.56	2.03	20.53	9.26	6.78
6	**नि.ख. सहारनपुर**	आमकी से पीरड मार्ग का शेष भाग मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य।	10.59	1.63	8.96	0.96	8.00	4.33	3.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	**नि.ख. सहारनपुर**	भटौल-वीरपुर मार्ग से आगे चलकर जटौल-झबरेडा मार्ग पुनःनिर्माण का कार्य।	37.27	0.05	37.22	3.35	33.87	15.26	11.18
8	**प्रा.ख. सहारनपुर**	दाऊदपुरा मार्ग से रण्डौल मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	44.65	0.11	44.54	4.01	40.53	18.29	13.40
9	**प्रा.ख. सहारनपुर**	रण्डौल से रवासौली मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	52.67	0.12	52.55	4.73	47.82	21.57	15.80
10	**प्रा.ख. सहारनपुर**	ककराला सरकारी स्कूल से कब्रिस्तान की ओर मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	16.32	0.07	16.25	1.46	14.79	6.69	4.90
11	**प्रा.ख. सहारनपुर**	बढेडी घोघू से पाली मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	36.72	0.09	36.63	3.30	33.33	15.04	11.02
12	**प्रा.ख. शामली**	शामली करनाल मार्ग से मालैण्डी मार्ग तक (नहर की पटरी) मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	54.34	1.52	52.82	4.89	47.93	0.63	16.30
13	**प्रा.ख. शामली**	मवी से डेरा सरदार तक मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	39.52	0.83	38.69	3.55	35.14	16.19	11.86
14	**प्रा.ख. शामली**	मलकपुर नाला पुल से बाईपास मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	40.01	0.58	39.43	3.60	35.83	16.38	12.00
15	**प्रा.ख. शामली**	कैराना मायापुर रोड से कैराना खन्दरावली की मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	27.86	0.59	27.27	2.50	24.77	11.41	8.36
16	**प्रा.ख. शामली**	शामली-सहारनपुर मार्ग से सिक्का बाईपास मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	45.46	0.19	45.27	4.08	41.19	0.52	13.64
17	**प्रा.ख. शामली**	खन्दरावली नहर से ऐरटी की ओर मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	75.31	0.22	75.09	6.77	68.32	0.87	22.59
18	**प्रा.ख. शामली**	कैराना तितरवाडा मार्ग से बुच्चाखेडी मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	21.57	0.47	21.10	1.94	19.16	0.25	6.47
19	**प्रा.ख. शामली**	तितरवाडा सहपत मार्ग से इन्डूखेडा मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	55.17	0.16	55.01	4.96	50.05	22.59	16.55
20	**प्रा.ख. शामली**	शामली बनत पुल से भिक्की गोहरपुर मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	29.33	0.05	29.28	2.63	26.65	0.34	8.80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	**प्रा.ख. शामली**	आल्दी से किशोरपुर मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	60.30	0.18	60.12	5.42	54.70	0.69	18.09
22	**प्रा.ख. शामली**	खन्द्रावली मार्ग से घिस्सू गढ तक मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	40.81	0.06	40.75	3.67	37.08	16.71	12.24
23	**प्रा.ख. शामली**	अलीपुर में सी.सी द्वारा मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	33.47	0.18	33.29	3.01	30.28	0.39	10.04
24	**प्रा.ख. शामली**	कैराना से घौसी चोकी मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	87.30	0.13	87.17	7.85	79.32	1.00	26.19
25	**प्रा.ख. शामली**	मेरठ करनाल मार्ग से नयागांव मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	64.44	0.19	64.25	5.79	58.46	0.74	19.33
26	**प्रा.ख. शामली**	रसीदगढ से आबादगढ मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	37.97	1.52	36.45	3.41	33.04	0.44	11.39
	योग								**332.59**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा जी जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 3,32,59,000 (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/ नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in